भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2272
दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमरीका से भारतीय नागरिकों का निर्वासन

2272. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जनवरी 2025 से अमरीका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों के संबंध में डेटा रखती है और यदि हाँ, तो निर्वासन के तरीकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अमरीका और अन्य देशों से निर्वासन का सामना कर रहे भारतीय नागरिकों के साथ बेहतर समन्वय और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कोई कूटनीतिक कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार को छात्र वीज़ा प्रक्रियाओं में हाल के बदलावों या देरी, विशेष रूप से छात्र और विनिमय आगंतुक वीज़ा (एफ, एम, जे श्रेणियों) के लिए नई नियुक्तियों के कथित निलंबन के संबंध में अमरीका से कोई औपचारिक संचार प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास अमरीका में निर्वासन, वीज़ा देने से मना करने या सोशल मीडिया-आधारित जांच प्रक्रियाओं का सामना कर रहे भारतीय छात्रों और प्रवासियों की स्थिति की निगरानी के लिए कोई तंत्र है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्वासित भारतीय छात्रों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से ख) 20 जनवरी से 22 जुलाई 2025 के बीच, अमेरिकी सरकार द्वारा कुल 1,703 भारतीय नागरिकों को भारत निर्वासित किया गया। इनमें 1,562 पुरुष और 141 महिलाएं थीं। निर्वासन के तरीकों के अनुसार निर्वासित लोगों का विवरण नीचे दिया गया है:

निर्वासन का तरीका	तारीख	संख्या
अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सैन्य) उड़ानें	5 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी	333
अमेरिकी अप्रवासन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के प्रवर्तन एवं निष्कासन संचालन द्वारा संचालित चार्टर उड़ानें	19 मार्च, 8 जून और 25 जून	231
होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस)	5 जुलाई और 18 जुलाई	300

चार्टर उड़ानों के माध्यम से निर्वासन		
पनामा से वाणिज्यिक उड़ानें	निर्वासित लोग व्यक्तिगत रूप से या छोटे समूहों में भारत पहुंचे, जब भी उनकी हवाई टिकट की व्यवस्था हुई।	72
अमेरिका से वाणिज्यिक उड़ानें	निर्वासित लोग, जब भी उनकी हवाई टिकट की व्यवस्था हुई। व्यक्तिगत रूप से या छोटे समूहों में भारत पहुंचे।	767
कुल (22 जुलाई तक)		1,703

निर्वासित लोगों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	निर्वासित लोगों की संख्या
पंजाब	620
हरियाणा	604
गुजरात	245
उत्तर प्रदेश	38
गोवा	26
महाराष्ट्र	20
दिल्ली	20
तेलंगाना	19
तमिलनाडु	17
आंध्र प्रदेश	12
उत्तराखंड	12
हिमाचल प्रदेश	10
जम्मू और कश्मीर	10
केरल	8
चंडीगढ़	8
मध्य प्रदेश	7
राजस्थान	7
पश्चिम बंगाल	6
कर्नाटक	5
ओडिशा	1
बिहार	1

झारखंड	1
अज्ञात	6
कुल	1,703

विदेश मंत्रालय निर्वासन कार्यों के दौरान निर्वासितों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ लगातार संपर्क में है। मंत्रालय ने निर्वासितों के साथ व्यवहार, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर बेड़ियों के इस्तेमाल के संबंध में, अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष अपनी चिंताओं को दृढ़ता से दर्ज कराया है। पगड़ी के उपयोग और खान-पान संबंधी प्राथमिकताओं सहित धार्मिक/सांस्कृतिक संवेदनशीलता से संबंधित चिंताओं को भी अमेरिकी पक्ष के साथ औपचारिक रूप से उठाया गया है। दिनांक 5 फ़रवरी, 2025 के बाद से इस मंत्रालय को किसी भी उड़ान में निर्वासितों के साथ व्यवहार से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग से ङ) विदेश मंत्रालय को भारतीय छात्रों और उनके परिवारों से छात्र वीज़ा अपॉइंटमेंट प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने इस मामले को नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी विदेश विभाग के समक्ष उठाया है। इसके प्रत्युत्तर में, अमेरिकी पक्ष ने निम्नलिखित जानकारी साझा की है:

- छात्र वीज़ा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताओं ने भारत स्थित अमेरिकी दूतावास और कोंसलावास की वीज़ा प्रक्रिया की क्षमता को और कम कर दिया है। तथापि, छात्र वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट अब खुले हैं।
- जे-1 चिकित्सक श्रेणी के लिए, अमेरिकी पक्ष ने उनके अपॉइंटमेंट्स को प्राथमिकता देने के लिए एक सॉफ्टवेयर-आधारित समाधान शुरू किया है। कई छात्रों ने पहले इस श्रेणी के वीज़ा के तहत अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध न होने की सूचना दी थी, लेकिन अब उन्हें अपॉइंटमेंट मिल गए हैं।
- अमेरिकी दूतावास नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले इन अपॉइंटमेंट्स की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अगस्त के अंत तक सीमित संख्या में अतिरिक्त छात्र वीज़ा अपॉइंटमेंट्स खोलने के लिए काम कर रहा है।
- अमेरिकी दूतावास एक छात्र वीज़ा तथ्य पत्रक फैक्ट शीट तैयार कर रहा है, जिसमें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) होंगे, जिससे इस मुद्दे पर अनिश्चितता कम करने में मदद मिलेगी।

यद्यपि वीज़ा जारी करना संबंधित देश का संप्रभु विशेषाधिकार है, फिर भी विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास तथा वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी विदेश विभाग के समक्ष भावी भारतीय छात्रों के समक्ष अमेरिकी वीज़ा प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को लगातार उठाया है।

भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभप्रद और सुरक्षित गतिशीलता ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में है, जिससे छात्रों और पेशेवरों की कानूनी गतिशीलता के लिए रास्ते सुगम हो सकें और अल्पकालिक पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सके।

अमेरिका स्थित भारतीय मिशन/केंद्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में नामांकित भारतीय छात्रों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं। हमारे दूतावासों और कोंसलावास में समर्पित अधिकारी हैं जो शिक्षा/छात्र कल्याण संबंधी मामलों पर बारीकी से नज़र रखते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को भी 'मदद पोर्टल' पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों, जिनमें छात्र भी शामिल हैं, की शिकायतों का निपटारा भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है और टेलीफोन कॉल, प्रत्यक्ष मुलाक़ात, ईमेल, सोशल मीडिया, 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन, ओपन हाउस और मदद पोर्टल के

माध्यम से लगभग तुरंत जवाब दिया जाता है। संकटग्रस्त लोगों को, आवश्यकतानुसार, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और आवास/भोजन सहित, हर संभव कोन्सलर सहायता प्रदान की जाती है। संकटग्रस्त प्रवासी भारतीय नागरिकों, जिनमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं, की सहायता के लिए, योग्य मामलों में साधन-परीक्षण के आधार पर, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडबल्यूएफ़) की स्थापना की गई है।

*****